प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीश– अजय सिंह राजपूत)

दावा प्रकरण क्रमांक–61/2025
संस्थित दिनांक–03/02/2025
CNR NO. CGBA010002792025

मीठूराम कश्यप, पिता–समडु राम कश्यप, आयु–33 वर्ष
निवासी – ग्राम कुरेंगा, थाना परपा (फ्रेजरपुर), जिला–बस्तर (छ.ग.)
........................आवेदक

// विरूद्ध//

01. **भूपेन्द्र कुमार साहू,** पिता–श्री सिया राम साहू, आयु–24 वर्ष, निवासी– ग्राम कुरेलीकला, ग्वांटियापारा, थाना छुई खदान, जिला खैरागढ़ (छ.ग.),
(दुर्घटना कारित आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 का चालक)

02. **अरविंद कुमार गुप्ता,** पिता श्री लक्ष्मण कुमार गुप्ता, उम्र 56 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 54/4, राधिका नगर, थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
(दुर्घटना कारित आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 का स्वामी)

03. **मेग्मा एच.डी.आई.** जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ब्लाक A–1, पुजारी कॉम्प्लेक्स, 1 स्ट फ्लोर, धरम नगर, टैगोर नगर, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
(वाहन आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 का बीमाकर्ता)
...............................अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री नितेश कारीकांत झा अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक 01, 02 द्वारा श्री राजेश मेनन अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कम्पनी द्वारा श्री विजय के.पी. गुप्ता अधिवक्ता।

//अधिनिर्णय//
(आज दिनांक 28/04/2026 को घोषित)

(1) आवेदक ने यह दावा आवेदन, अनावेदकगण के विरूद्ध धारा–166 (1) मोटरयान अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 2019 के अंतर्गत दिनांक–07/12/2024 को समय सुबह 11.00 बजे, थाना–बस्तर, जिला बस्तर, क्षेत्रांतर्गत बस्तर मेन रोड चौक एन.एच.30 हाईवे में हुई वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के फलस्वरुप क्षतिपूर्ति के रुप में कुल–30,70,000/–रूपये (तीस लाख सत्तर हजार रूपये) अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथक–पृथक रुप से दिलाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

(2) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वाहन आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 **(जिसे आगे प्रश्नाधीन वाहन कहा जायेगा)** बीमा कंपनी (अना.क्र.03) द्वारा बीमित थी ।

(3) आवेदक का दावा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.12.2024 को समय सुबह 11.00 बजे, आवेदक मीठूराम कश्यप अपने दोस्त गोयन्दु मंडावी के साथ अपने मोटर सायकल से ग्राम सोनारपाल से परचनपाल जा रहा था, तभी बस्तर मेनराड एन.एच. 30 के पास अनावेदक क्र.01 ने प्रश्नाधीन वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर अचानक से आवेदक की दिशा में अपने ट्रक को मोड़कर आवेदक की मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कर दिया । आवेदक मीठूराम कश्यप को गंभीर एवं संघातिक चोटें आई तथा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्तर ले जाया गया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर रिफर किया गया । आवेदक का आगे का ईलाज नंदा अस्पताल धमतरी में हुआ। आवेदक दो महीने से अधिक समय तक भर्ती रहकर अपना ईलाज करवाया है । दुर्घटना की सूचना थाना–बस्तर, जिला–बस्तर (छ.ग.) में दिये जाने पर अनावेदक क्रमांक–01 के विरूद्व अपराध क्रमांक–130/2024, धारा–281, 125(a) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध पंजीबद्व किया गया तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अनावेदक क्रमांक–01 के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(4) आवेदक का दावा आगे इस प्रकार है कि दुर्घटना के समय आवेदक 33 वर्ष का व्यक्ति था और आवेदक छ.ग. पुलिस (सी.ए.एफ.) में सिपाही है तथा वर्तमान में 21 वीं वाहिनी करकावट, जिला बालोद में पदस्थ है तथा उसे प्रतिमाह 41,528/–(इकतालीस हजार पांच सौ अट्ठाइस) रूपये प्राप्त होता है । दुर्घटना के परिणामस्वरुप वह कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए तदानुसार आवेदक ने अनावेदकगण से बतौर क्षतिपूर्ति

30,70,000/– रुपये (तीस लाख सत्तर हजार रूपये) पृथक–पृथक एवं संयुक्ततः दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

(5) अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 ने आवेदन पत्र के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर विशेष कथन किया है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चला रहा था परन्तु मोटर सायकल चालक ने अपने वाहन को तेजी गति और लापरवाही पूर्वक चलाया तथा गति पर संतुलन न बना पाने के कारण वह अनावेदक क्रमांक 01 के वाहन में टक्करा गया । दुर्घटना में अनावेदक क्रमांक 01 की कोई लापरवाही नहीं है । दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा बीमित थी तथा अनावेदक क्रमांक 01 के पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी, इसलिए यदि कोई क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है तो उसकी अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 03 पर है ।

(6) अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी ने स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त दावा आवेदन पत्र के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि उनके द्वारा आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 का बीमा दिनांक– 05/04/2024 से दिनांक– 04/04/2025 तक वाहन स्वामी अरविंद कुमार गुप्ता के नाम पर नियम एवं शर्तो के अधीन बीमित किया था । दुर्घटना आवेदक के स्वयं के लापरवाही एवं नशा के अधीन होने के परिणामस्वरुप घटित हुआ है । दुर्घटना के समय अनावेदक क्र.01 के पास प्रश्नाधीन वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था, फिर भी वाहन चलाकर बीमा कंपनी के शर्तों का उल्लंघन किया है । इसलिए बीमा कंपनी किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु दायित्वाधीन नहीं है, अतः क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी पर नहीं है और दावा आवेदन पत्र निरस्त किया जावे ।

(7) प्रकरण में निम्नांकित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं, जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सम्मुख निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं–

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या दुर्घटना दिनांक 07.12.2024 को सुबह 11:00 बजे, थाना बस्तर, जिला बस्तर, क्षेत्रांर्गत, बस्तर मेन रोड चौक में एन.एच. 30 हाईवे में, अना. क्र. 01 ने वाहन आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक मीठूराम की	**"प्रमाणित"**

	मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे आवेदक मीठूराम को गंभीर एवं संघातिक चोटें कारित हुयी ?	
02	क्या दुर्घटना दिनांक, समय व स्थान में अनावेदक क्रमांक 01 ने दुर्घटना कारित वाहन आयशर ट्रक क्र. सी.जी. 07 बी.एस. 1180 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया ?	**"प्रमाणित नहीं"**
03	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ तो कितना और किससे ?	**“हां” आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः कुल प्रतिकर की राशि 4,45,430/– रूपये /– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ।**
04	सहायता एवं वाद व्यय ?	**अधिनिर्णय की अंतिम कंडिका के अनुसार ।**

(8) आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आवेदक स्वयं का शपथपत्रीय साक्ष्य पेश किया है । अनावेदकगण की ओर से किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है ।

//निष्कर्ष एवं कारण//

वादप्रश्न क्रमांक–01 का सकारण निष्कर्षः–

(9) आवेदक मीठुराम कश्यप **(आ.सा.01)** ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य में दावा आवेदन अनुरुप कथन करते हुए व्यक्त किया है कि दुर्घटना दिनांक 07/12/2024 को वह अपने दोस्त गोयंदु मंडावी के साथ अपने मोटर सायकिल से ग्राम सोनारपाल से ग्राम परचनपाल जा रहा था, रास्ते में बस्तर चौक के पास मेन रोड एन.एच.30 में सामने से आ रही आयसर ट्रक क्रमांक सी.जी.07 बी.एस. 1180 के चालक द्वारा अपने वाहन ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर अपने विपरीत दिशा में मोड़कर उसके मोटर सायकिल को ठोकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे वह एवं उसका दोस्त गोयंदु मंडावी नीचे सड़क पर गिर गए थे । उक्त दुर्घटना में उसे छाती, पैर, पीठ, चेहरा एवं कंधा में गंभीर चोटें आयी थी एवं विभिन्न

अस्पताल में उसका ईलाज हुआ एवं वर्तमान में भी उसका ईलाज चल रहा है ।

(10) आवेदक ने अपने दावा के समर्थन में आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अंतिम प्रतिवेदन **प्रदर्श ए.01,** प्रथम सूचना पत्र **प्रदर्श ए.02,** अपराध विवरण फार्म **प्रदर्श ए.03,** ओ.पी.डी.पर्ची **प्रदर्श ए.04, डॉ. का मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श ए.05,** सम्पत्ति जप्ती पत्रक **प्रदर्श ए.06,** गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श ए–7,** वाहन सुपुर्दनामा आदेश **प्रदर्श ए.08,** वाहन मुलाहिजा रिपोर्ट **प्रदर्श ए–9** एवं **10** तक प्रस्तुत किया है । प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दुर्घटना उसके स्वयं की लापरवाहीपूर्ण चलाने के कारण हुयी थी, जिससे उसे चोट आयी थी । इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह मोटर सायकिल चलाना नहीं जानता था ।

(11) **राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरुद्ध नंदकिशोर 2002(1) दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका 366** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से होने वाले प्रतिकर का निराकरण करते समय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने पर जोर न दिया जाकर संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए । हस्तगत मामले में अनावेदकगण के द्वारा प्रश्नाधीन दुर्घटना के संबंध में दांडिक अभिलेखों को कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

(12) आवेदक मीठूराम कश्यप (आ.सा.01) का कथन प्रति परीक्षण में अखंडित रहा है । उसके कथनों की पुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है । प्रश्नाधीन वाहन का चालक भूपेंद्र कुमार साहू **(अना.क्र.01)** सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था, परंतु उसने स्वयं अपना साक्ष्य नहीं दिया है । बीमा कंपनी **(अना.क्र.03)** की ओर से अपने अभिवचनों के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और अनावेदकगण की ओर से इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने नशे के हालत में प्रश्नाधीन वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित किया और दुर्घटना में अनावेदक क्रमांक 01 की योगदायी उपेक्षा थी ।

(13) अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नाधीन वाहन के चालक ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक मीठूराम की मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया ।

(14) अब जहॉ तक प्रश्न आवेदन/आहत को गंभीर एवं संघातिक चोटें कारित होने का है ? इस संबंध में आवेदक ने कथित दुर्घटना के

परिणामस्वरुप उसे छाती, पैर, पीठ, चेहरा एवं कंधा में गंभीर चोटें कारित होना एवं विभिन्न अस्पताल में उसका ईलाज होने एवं वर्तमान में भी उसका ईलाज चलने का कथन किया है लेकिन आवेदक की ओर से अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी चिकित्सकीय साक्षी का कथन नहीं कराया है। आवेदक की ओर से ईलाज संबंधी दस्तावेज शासकीय अस्पताल डिमरापाल का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श ए–11, नंदा हास्पिटल, धमतरी का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श ए–12, शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श ए–13 व प्रदर्श ए–14, गंगा डयग्नोस्टिक एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर रायपुर का एक्स रे रिपोर्ट एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श ए– 15 से प्रदर्श ए–18, नंदा हस्पिटल का चिकित्सकीय बिल प्रदर्श ए–19 मात्र पेश किया है, जिससे आवेदक को कथित दुर्घटना के परिणामस्वरुप गंभीर चोटें कारित होने की पुष्टि होती है ।

(15) अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने दुर्घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर प्रश्नाधीन वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक मीठूराम की मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे आवेदक मीठूराम को गंभीर एवं संघातिक चोटें कारित हुई, **अतः वाद प्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष "प्रमाणित" में दिया किया जाता है ।**

वादप्रश्न क्रमांक–2 का सकारण निष्कर्ष –

(16) इस वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी (अना.क्र.03) पर है । प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.07 बी.एस. 1180 का बीमा मेग्मा एच.डी.आई.जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दिनांक 05/04/2024 से दिनांक 04/04/2025 तक के लिए बीमित था । हस्तगत मामले में दुर्घटना दिनांक 07.12.2024 है जिससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा कमर्शियल व्हीकल क्लास पैकेज पॉलिसी का अंतर्गत बीमित था ।

(17) बीमा कंपनी (अना.क्र.03) की ओर से अपने बचाव में यह आधार लिया है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक (अन.क्र.01) के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था जिस कारण बीमा के शर्तों के उल्लंघन होने से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दायित्वाधीन नहीं है। प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत जप्ती पत्रक **प्रदर्श ए. 6** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नधीन वाहन के चालक भूपेंद्र कुमार साहू के पेश करने पर ड्रायविंग लायसेंस सी०जी० 08 20190004120 जप्त किया गया था जिसके खंडन में बीमा कंपनी के द्वारा कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना

दिनांक समय व स्थान पर प्रश्नाधीन वाहन के चालक **(अना.क्र.01)** ने प्रश्नगत वाहन को बीमा संविदा की शर्तों उल्लंघन में प्रश्नाधीन वाहन का चालन किया था, **अतः वाद प्रश्न क्रमांक–2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया किया जाता है ।**

वादप्रश्न क्रमांक–03 का सकारण निष्कर्षः–

(18) इस वादप्रश्न के निराकरण हेतु सर्वप्रथम सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि कथित दुर्घटना के परिणामस्वरुप आवेदक अनावेदकगण से विभिन्न मदों में कुल कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?

(19) आवेदक ने अपने दावा आवेदन में कथित दुर्घटना के परिणामस्वरुप विभिन्न मदों में कुल **30,70,000/–(तीस लाख सत्तर हजार रुपए)** दिलाए जाने का निवेदन किया है । इस संबंध में वादप्रश्न क्रमांक 01 में यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि कथित दुर्घटना के परिणामस्वरुप आवेदक को दुर्घटनाजनित गंभीर किस्म की चोटें कारित हुई थी लेकिन चोटें कितनी गंभीर थी, इस संबंध में आवेदक की ओर से विशेष रुप से किसी चिकित्सकीय साक्षी का कथन नहीं कराया है, किंतु समर्थन में चिकित्सकीय दस्तावेज अवश्य पेश किए गए हैं, जिन्हें प्रदर्शित भी कराया गया है, जिससे आवेदक को गंभीर चोटें कारित होने की पुष्टि अवश्य हो रही है ।

(20) आवेदक ने दुर्घटना से पूर्व 33 वर्षीय स्वस्थ्य व्यक्ति होकर छत्तीसगढ़ पुलिस में सी.ए.एफ का सिपाही होकर वर्तमान में 21 वीं वाहिनी करकावट, जिला बालोद में पदस्थ होकर 41,528/– रुपए आय अर्जित करने का कथन किया है । प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने अनावेदक पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना दिनांक को शासकीय सेवक था एवं दुर्घटना के समय उसका वेतन 41,500/– मासिक था । प्रति परीक्षण की कंडिका 14 में इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि शासकीय सेवक को सेवा के दौरान होने वाले चिकित्सकीय व्यय की प्रतिपूर्ति उसके विभाग द्वारा की जाती है किंतु स्वतः कथन किया है कि उसे कोई चिकित्सकीय बिल की प्रतिपूर्ति उसके द्वारा नहीं की गयी है लेकिन उसने चिकित्सकीय बिल की राशि भुगतान हेतु अपने विभाग में प्रस्तुत किया है लेकिन विभाग से कोई राशि उसे प्राप्त नहीं हुई है । अनावेदकगण की ओर से आवेदक को दुर्घटना के परिणामस्वरुप उत्पन्न क्षति चिकित्सकीय बिल की राशि भुगतान की गयी है इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(21) अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को विभन्न मदों में निम्नानुसार राशि दिलाया जाना न्योचित होगाः–

1– **चिकित्सा/दवाइयों के मद मेंः–** कथित दुर्घटना के

परिणामस्वरुप आवेदक की ओर से अपने ईलाज में हुए व्यय के संबंध में नंदा हास्पिटल धमतरी का दिनांक 15/12/2024 को फायनल बिल **प्रदर्श ए–19** का **1,50,430/– (एक लाख पचास हजार चार सौ तीस रुपए)** का पेश किया गया है । इसके अतिरिक्त कालडा बर्नस एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर दिनांक 23/12/2024 का रिसिप्ट प्रदर्श पी.20,21 एवं 22 का क्रमशः 10,000/–, 10,000/– एवं 20,000/–,दिनांक 27/12/2024 का रिसिप्ट प्रदर्श पी.23 का 50,000/–,दिनांक 29/12/2024 का रिसिप्ट प्रदर्श पी.24 का 50,000/– तथा दिनांक 24/12/2024 का रिसिप्ट प्रदर्श पी.25 का 1,00,000/– कुल **2,40,000/–** का पेश किया गया है अतः आवेदक को चिकित्सा/दवाइयों के मद में **3,90,430/– (तीन लाख नब्बे हजार चार सौ तीस रुपए)** दिलाया जाना न्यायोचित होगा ।

2– **शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के मद में:–** आवेदक की ओर से प्रस्तुत शासकीय अस्पताल डिमरापाल का डिस्चार्ज टिकिट **प्रदर्श ए–11**, **प्रदर्श ए–12**, **प्रदर्श ए–13** एवं **प्रदर्श ए–14** के अनुसार कुल 25 दिन विभिन्न तिथियों में कथित दुर्घटना पश्चात अस्पताल में भर्ती रह कर अपना ईलाज कराया जाना प्रमाणित है, जिस कारण आवेदक को उक्त अवधि में अवश्य ही शारीरिक एवं मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ा होगा अतः इस मद में आवेदक को **30,000/–(तीस हजार रुपए)** दिलाया जाना न्यायोचित होगा ।

3– **पौष्टिक आहार एवं सहायक के मद में:–** आवेदक की ओर से प्रस्तुत शासकीय अस्पताल डिमरापाल का डिस्चार्ज टिकिट **प्रदर्श ए–11** के अनुसार 1 दिन, नंदा हास्पिटल,धमतरी का डिस्चार्ज टिकिट **प्रदर्श ए–12** के अनुसार 7 दिन, शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल का डिस्चार्ज टिकिट **प्रदर्श ए–13** के अनुसार 1 दिन व **प्रदर्श ए–14** के अनुसार 16 दिन, इस प्रकार कथित दुर्घटना पश्चात विभन्न तिथियों में भर्ती रह कर कुल 25 दिन अस्पताल में अपना ईलाज कराया है अतः उक्त अवधि के दरम्यान आवेदक को निश्चित ही पौष्टिक आहार एवं सहायक के मद में व्यय करना पड़ा होगा, अतः पौष्टिक आहर एवं सहयक के मद में एकमुश्त **15,000/– (पंद्रह हजार रुपए)** दिलाया जाना न्यायोचित होगा ।

4– **आवगमन के मद में:–** उपरोक्त साक्ष्य विवेचना एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आवेदक का विभिन्न अस्पताल में कुल 25 दिनों तक भर्ती रहकर अपना ईलाज कराना प्रमाणित पाया गया

है, जिस हेतु आवेदक को जगदलपुर से धमतरी एवं रायपुर भी जाना पड़ा है अतः इस मद में भले ही आवेदक की ओर से पृथक से आवागमन में हुए व्यय के संबंध में कोई बिल पेश नहीं किया गया है, फिर भी आवेदक का विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न तिथियों में भर्ती रह कर ईलाज होना प्रमाणित है, अतः ऐसी स्थिति में आवगमन के मद में **10,000/– (दस हजार रुपए)** दिलाया जाना न्यायोचित होगा ।

(22) आवेदक की ओर से अपने दावा आवेदन में आय में हुई हानि के संबंध में 15,00,000/– पृथक से दिलाए जाने का निवेदन किया गया है परन्तु आवेदक एक शासकीय कर्मचारी और दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसकी ओर से उसे आय की हानि होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, अतः आवेदक को आय की हानि के मद में पृथक से कोई भी राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं होगा । अतः आवेदक को चिकित्सा एवं अन्य मदों में प्राप्त राशि निम्नानुसार है–

क्र.	मद	राशि
1	चिकित्सा/दवाइयों के मद में	3,90,430/– /–
2	शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के मद में	30,000/–
3	पौष्टिक आहार एवं सहायक के मद में	15,000/–
4	आवागमन के मद में	10,000/–
	आवेदक को विभिन्न मदो में दिलाए जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति राशि	4,45,430/–

(23) अतः आवेदक उपरोक्तानुसार कुल क्षतिपूर्ति राशि **4,45,430/– रूपये (चार लाख पैंतालीस हजार चार सौ तीस रुपये)** प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(24) प्रकरण में यह अविवादित है कि प्रश्नाधीन वाहन का चालक भूपेंद्र कुमार साहू (अना.क्र.01), स्वामी अरविंद कुमार गुप्ता (अना.क्र.02) एवं बीमाकर्ता (अना.क्र.03) मैग्मा एच. डी.आई. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिस कारण कथित दुर्घटना के लिए अना.क्र.01, 02 एवं 03 संयुक्तः अथवा पृथकतः आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है, परंतु अनावेदक क्रमांक–03 दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन का बीमाकर्ता होने के नाते क्षतिपूर्ति की राशि अदायगी हेतु प्रथमतः दायित्वाधीन है, **अतः वादप्रश्न क्रमांक–03 का निष्कर्ष हॉ, आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं**

पृथकतः कुल प्रतिकर की राशि 4,45,430/– रूपये (चार लाख पैंतालीस हजार चार सौ तीस रुपये) प्राप्त करने का अधिकारी है और उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का प्रथम भार अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी पर होगा ।

(25) आवेदक ने क्षतिपूर्ति राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज की मांग की है । बीमा कंपनी की ओर से लिखित तर्क किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों के द्वारा बैंक में जमा राशि पर प्रदाय किये जाने वाले ब्याज को दर के अनुरूप ब्याज दिलाया जाना उचित होगा ।

(26) अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 07.12.2024 की है और दावा दिनांक 03.02.2025 संस्थित किया गया है । यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण मे सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी अनावेदकगण के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को प्रदान नहीं की गयी है, अतः आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज आवेदन दिनांक 03.02.2025 से दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है ।

वादप्रश्न क्रमांक–04 सहायता एवं व्ययः–

(27) अतः विवेचना के आधार पर आवेदक का यह दावा आंशिक ओर स्वीकार किया जाकर एवं अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः–

1– आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि **4,45,430/– रूपये (चार लाख पैंतालीस हजार चार सौ तीस रुपये),** उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, जो दिनांक 03.02.2025 से उक्त राशि के भुगतान दिनांक तक देय है, को अनावेदकगण से संयुक्तः या पृथकतः प्राप्त करेगा । उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी का होगा ।

2– अनावेदकगण द्वारा आवेदक को अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में यदि कोई राशि भुगतान की गयी होगी तो उक्त राशि का मूल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजन करने के बाद शेष बचत राशि को अनावेदकगण, आवेदक को अदा करेंगे ।

3– अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी द्वारा उपरोक्तानुसार

4,45,430/– रूपये (चार लाख पैंतालीस हजार चार सौ तीस रुपये) का भुगतान मय ब्याज कर दिये जाने के उपरांत उक्त संपूर्ण राशि आवेदक को एकाउंट पेयी चेक द्वारा नगद दिया जावे ।

4– उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

5– अधिवक्ता शुल्क 1000/– रूपये निर्धारित किया जाता है।

6– अधिनिर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क आवेदक एवं अनावेदकगण को प्रदान की जावे ।

तदानुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

मेरे निदेश में टंकित ।

दिनांक 28/04/2026
स्थान–जगदलपुर

AJAY SINGH RAJPUT
Digitally signed by AJAY SINGH RAJPUT
Date: 2026.04.30 16:15:24 +0530